न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपजिला मजिस्ट्रेट चौमूँ, जिला जयपुर

मु.न. 234 / 2014

उनवान

1. सुखदेव पुत्र स्व0 श्री झूंथा, जाति अहीर, निवासी ग्राम बावडी गोपीनाथ, तहसील चौमूं जिला जयपुर (मृतक दौराने प्रार्थना पत्र)
   1/1 मालीराम पुत्र स्व0 सुखदेव
   1/2 जयनारायण पुत्र स्व0 सुखदेव
   1/3 सत्यनारायण पुत्र स्व0 सुखदेव
   1/4 जयराम पुत्र स्व0 सुखदेव
   समस्त जाति अहीर, निवासी ग्राम बावडी गोपीनाथ, तहसील चौमूं जिल जयपुर
   1/5 भूरी उर्फ भंवरी देवी पुत्री स्व0 सुखदेव पत्नी ग्यारसीलाल, जाति अहीर, हाल निवासी ग्राम गोकुलपुरा, कालवाड रोड, जयपुर, जिला जयपुर।

—प्रार्थीगण / वादीगण

बनाम

1. राजस्थान सरकार, जरिये तहसीलदार तहसील चौमू, जिला जयपुर।

—अप्रार्थी / प्रतिवादी

2. कल्याण पुत्र स्व0 श्री झूंथा, जाति अहीर, निवासी ग्राम बावडी गोपीनाथ, तहसील चौमूं, जिला जयपुर (मृतक दौराने प्रार्थना पत्र)
   2/1 बद्रीनारायण पुत्र स्व0 कल्याणमल
   2/2 मोहनलाल पुत्र स्व0 कल्याणमल
   2/3 सीताराम पुत्र स्व0 कल्याणमल
   2/4 ओमप्रकाश पुत्र स्व0 कल्याणमल
   2/5 छोटी देवी बेवा स्व0 कल्याणमल (मृतक दौराने प्रार्थना पत्र) समस्त जाति अहीर, निवासी ग्राम बावडी गोपीनाथ, तहसील चौमूं जिला जयपुर।
   2/6 सोनी देवी पुत्री स्व0 कल्याणमल पत्नी श्री गोपाललाल, जाति अहीर, हाल निवासी रावलों की ढाणी, रायथल, तहसील आमेर, जिला जयपुर।
   2/7 गुलाब देवी पुत्री स्व0 कल्याणमल पत्नी केसर
   2/8 मीरा देवी पुत्री स्व0 कल्याणमल पत्नी साधुराम
   समस्त जाति अहीर, हाल निवासी ग्राम गोविन्दपुरा, कालवाड रोड जयपुर, जिला जयपुर।
3. तेजपाल उर्फ तेजमल पुत्र स्व0 श्री झूंथा (मृतक दौरानें प्रार्थना पत्र)
   3/1 छोटी देवी पत्नी स्व0 तेजपाल यादव
   3/2 जगन्नाथ यादव पुत्र तेजपाल यादव
   3/3 हरफूल यादव पुत्र तेजपाल यादव
   3/4 कैलाशचन्द यादव पुत्र तेजपाल यादव समस्त जाति अहिर, निवासी ग्राम बावडी गोपीनाथ, तहसील चौमूं जिला जयपुर।
   3/5 गुरली देवी पुत्री तेजपाल यादव पत्नी श्रवणलाल
   3/6 मनफूली देवी पुत्री तेजपाल यादव पत्नी हरपाल सिंह यादव
   समस्त जाति अहीर, निवासी ग्राम बावडी गोपीनाथ, तहसील चौमूं जिला जयपुर हाल निवासी ग्राम गोकुल[illegible] जयपुर।
   3/7 मन्जू देवी पुत्री स्व0 तेजपाल यादव पत्नी श्रवणला[illegible] जाति अहीर,

Signature Not Verified
Digitally signed by Abhishek Surana
Date: 2020.10.12 11:19:57 IST
Reason: SelfAttested
Scanned with CamScanner

निवसी बावडी गोपीनाथ , तहसील चौमूं, जिला जयपुर हाल निवासी ग्राम गोविन्दपुरा, तहसील झोटवाडा, जिला जयपुर।

4. रामेश्वर पुत्र स्व0 झूंथा (मृतक दौराने प्रार्थना पत्र)

4/1 नाथी देवी पत्नी स्व0 रामेश्वर (मृतक दौराने प्रार्थना पत्र)

4/2 कैलाश यादव पुत्र स्व0 रामेश्वर

4/3 लालचन्द यादव पुत्र स्व0 रामेश्वर

4/4 आंची देवी पुत्री स्व0 रामेश्वर

समस्त जाति अहीर, निवासी ग्राम बावडी गोपीनाथ, तहसील चौमं जिला जयपुर।

4/5 सन्तरा देवी पुत्री स्व0 रामेश्वर पत्नी राकेश कुमार यादव

4/6 सुशीला देवी पुत्री स्व0 रामेश्वर पत्नी उमेश यादव

समस्त जाति अहीर, निवासी ग्राम बावडी गोपीनाथ, तहसील चौमूं जिला जयपुर हाल निवासी रामनाथपुरी, ग्राम गोकुलपुरा (झोटवाडा), जयपुर जिला जयपुर।

4/7 मोहनी देवी पुत्री स्व0 रामेश्वर पत्नी बोदूराम यादव

4/8 ओमा देवी पुत्री स्व0 रामेश्वर पत्नी श्रवण लाल यादव

4/9 बबली देवी पुत्री स्व0 रामेश्वर पत्नी रामूराम यादव

4/10 प्रेम देवी पुत्री स्व0 रामेश्वर पत्नी रामचन्द्र यादव

समस्त जाति अहीर, निवासी ग्राम बावडी गोपीनाथ, तहसील चौमूं, जिला जयपुर हाल निवासी मुण्डघसोई, ग्राम नावां, जिला नागौर।

4/11 सावित्री देवी पुत्री रामेश्वर पत्नी रोशन यादव, जाति अहीर, निवासी ग्राम बावडी गोपीनाथ, तहसील चौमूं, जिला जयपुर हाल निवासी रामकुई पंचार, तहसील झोटवाडा, जयपुर, जिला जयपुर।

5. रामनिवास पुत्र स्व0 श्री जगदीश
6. रामसिंह पुत्र स्व0 श्री भागीरथ
7. श्रवण पुत्र स्व0 श्री भागीरथ
8. श्रीकिशन पुत्र स्व0 श्री भागीरथ
9. राजू पुत्र स्व0 श्री भागीरथ
10. श्रीराम पुत्र स्व0 श्री भागीरथ
11. मु0 भगली बेवा स्व0 श्री भागीरथ

समस्त जाति अहीर, निवासी ग्राम बावडी गोपीनाथ, तहसील चौमूं जिला जयपुर।

— प्रारूपिक अप्रार्थीगण/प्रतिवादीगण

(प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 सपठित आदेश 39 नियम 1 व 2 तथा धारा 151 सी0पी0सी0)

निर्णय दिनांक 17.09.2019

पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि भूमि विवादग्रस्त हाल खसरा नम्बर 270 रकबा 0.32 है0, 271 रकबा 0.95 है0, 272 रकबा 2.61 है0, 273/852 रकबा 0.10 है0, 274/851 रकबा 0.15 है0, 276/850 रकबा 0.10 है0, 298/853 रकबा 0.04 है0, 299/854 रकबा 0.03 है0, कुल किता 8 का कुल रकबा 4.30 है0 ग्राम बावडी गोपीनाथ, त[illegible] । उपरोक्त वर्णित भूमि के साबिक खसरा नम्बर6 कुल रकबा 17 बी[illegible] खसरा नम्बर 6 से उसके पूर्व के सेटलमेंट के खसरा नम्बर [illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Abhishek Surana
Date: 2020.10.12 11:19:57 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

नम्बर 8/1 रकबा 1 बीघा 8 बीस्वा, 8/2 रकबा 14 बीघा 5 बिस्वा व 8/3 रकबा 3 बीघा 7 बिस्वा कुल किता 3 कुल रकबा 17 बीघा बनें।

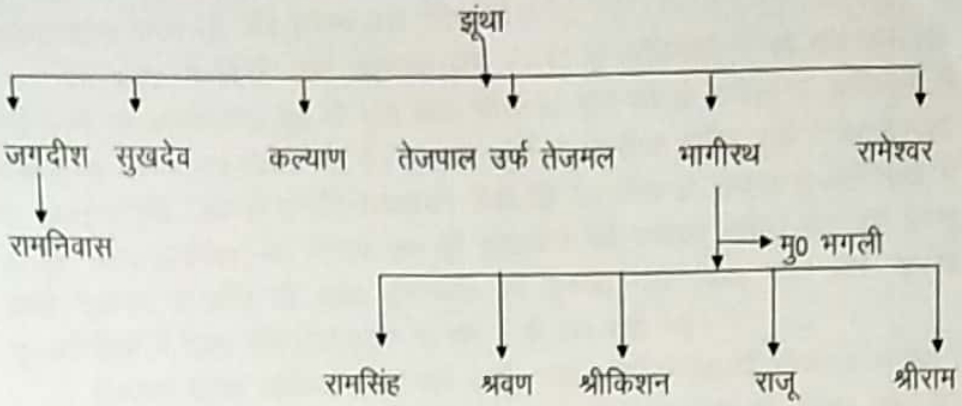

उपरोक्त वर्णित भूमि प्रार्थी तथा प्रारूपिक अप्रार्थी संख्या 2 लगा0 11 के हक पूर्वाधिकारी झूंथा पुत्र लादू अहीर की खातेदारी एवं कब्जे काश्त की भूमि थी। झूंथा पुत्र लादू के परिवार की वंशावली निम्न प्रकार है:–

प्रार्थी तथा प्रारूपिक अप्रार्थी संख्या 2 लगा0 11 के हक पूर्वाधिकारी श्री झुंथा पुत्र लादू उपरोक्त वर्णित भूमि के कृषक थे जो भूमि विवादग्रस्त पर निरन्तर काबिज रह कर काश्त करते रहे। संवत् 2004 लगा0 2023 की खतौनी बंदोबस्त में श्री झूंथा पुत्र लादू का नाम खातेदार कृषक के रूप में दर्ज था। उपरोक्त वर्णित भूमि का लगान श्री झूंथा पुत्र लादू से देय था जो वे निरन्तर अदा करते रहे।

झूंथा पुत्र लादू अहिर का स्वर्गवास संवत 2006 में हुआ। झूंथा पुत्र लादू का देहान्त हो जाने पर उपरेक्त वर्णित वंशावली में अंकित उसके सभी 6 पुत्र जगदीश सुखदेव, कल्याण, तेजपाल उर्फ तेजमल, भागीरथ व रामेश्वर उपरोक्त वर्णित भूमि के कृषक हुये जो भूमि विवादग्रस्त पर निरन्तर काबिज रहकर काश्त करते रहे। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 प्रभाव में आने के समय झूंथा पुत्र लादू अहीर के उपरोक्त वर्णित सभी छः पुत्र भूमि विवादग्रस्त के कृषक थे इसलीए राज0 काश्त0 अधि0 की धारा 15 के अन्तर्गत उन्हे खातेदारी अधिकार प्राप्त हो गये।

उपरोक्त वर्णित भूमि के राजस्व भू–अभिलेखों में श्री झूंथा पुत्र लादू अहीर का नाम कृषक के रूप में दर्ज था। और जब संवत 2006 में श्री झूंथा का देहान्त हुआ उस समय उनके सभी पुत्र, प्रार्थी तथा प्रारूपिक अप्रार्थी संख्या 2 लगा. 6 तथा उनक हक पूर्वाधिकारी छोटी उम्र के काश्तकार व्यक्ति थे इसलीये वे राजस्व भू–अभिलेखों में अपना नाम दर्ज करवानें की कार्यवाही नही करवा सके और श्री झूंथा का ही नाम अंकित होता रहा। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रभाव में आने के समय राजस्व भू–अभिलेखों में श्री झूंथा पुत्र श्री लादू अहीर का नाम खातेदार कृषक के रूप में दर्ज था। झूंथा के पुत्रों ने झूंथा के स्थान पर अपना नाम खातेदार कृषक के रूप में अंकित कराने हेतु तहसीलदार व सरपंच ग्राम पंचायत मण्डाभिण्डा से सम्पर्क किया तो उन्होनें नामांतकरण संख्या 14 दिनांक 15.05.1963 को झूंथा के सभी छः पुत्रों के नाम तस्दीक कर दिया और राजस्व भ–अभिलेखों में उसके अधार पर इन्द्राजात होते रहे।

संवत 2004 लगा0 2023 की खातौनी बंदोबस्त में खातेदार कृषक के रूप में ही श्री झूंथा पुत्र लादू का नाम दर्ज था जिसे यथावत दर्ज रखा जाना आवश्यक था। बंदोबस्त विभाग के अधिकारियों को यह क्षेत्राधिकार प्राप्त नही था कि वे राजस्व भू–अभिलेखों मे हो रहे इन्द्राजात को परिवर्तित कर उक्त भूमि को झूंथा पुत्र ला[illegible] खातेदारी से निरस्त कर असे सिवायचक अंकित कर दे, परन्तु फिर भी [illegible] व अधिकार

Signature Not Verified
Digitally signed by Abhishek Surana
Date: 2020.10.12 11:19:57 IST
Reason: SelfAttested
Scanned with CamScanner

के क्षेत्राधिकार के बाहर, बंदोबस्त विभाग के अधिकारियों ने संवत 2010 से 2023 की खतौनी बंदोबस्त तैयार कर उक्त भूमि के राजस्व भू-अभिलेखों से झूंथा पुत्र लादू यादव का नाम लोपित कर उक्त भूमि को सिवायचक अंकित कर दिया जो इन्द्राजात हर समय व हर प्रयोजन के लिये पूर्णतः अवैध हैं, जिसकी प्रार्थी एवं झूंथा के शेष पुत्रों को किसी प्रकार की कोई जानकारी नही हो सकी, और वे पूर्ववत भूमि विवादग्रस्त पर निरन्तर काबिज रहकर काश्त करते रहे और लगान अदा करते रहे।

वर्ष 1972 में किसी अन्य कार्यवश जब राजस्व भू-अभिलेखों में हो इन्द्राजात को देखे जाने की आवश्यकता हुई तो पुता चला कि उक्त भूमि को तो राजस्व भू-अभिलेखों में सिवायचक अंकित कर दिया गया है। इस पर झूंथा के उपरोक्त वर्णित पुत्रों ने तहसीलदार के समक्ष आपत्ति की तो उन्होंने आश्वासन दिया कि वह शीघ्र ही राजस्व भू-अभिलेखों में हो रहे अवैध इन्द्राजात को निरस्त कर पूर्व इन्द्राजात को यथावत अंकित कर देंगे परन्तु प्रार्थी सुखदेव व अन्य के अवैध इन्द्राजात को दुरूस्त नही किया गया और राजस्व भू-अभिलेखों में उक्त भूमि सिवायचक के रूप में ही दर्ज रखी गई।

उपरोक्त वर्णित परिस्थितियों में जब प्रार्थी तथा प्रारूपिक अप्रार्थी संख्या 2 लगा0 ने तहसीलदार आमेर पर राजस्व भू-अभिलेखों में हो रहे अवैध इन्द्राजात को दुरूस्त करने पर अधिक जोर डाला तो तहसीलदार आमेर ने राज0काश्त0अधि0 की धारा 15 के अन्तर्गत नामान्तरकरण झूंथा के पुत्रों के नाम तस्दीक किये जाने का दिनांक 28.03.1974 को आदेश पारित किया और पटवारी हल्का को निर्देशित किया कि वे नामान्तकरण पंजीका भरकर प्रस्तुत करें। इस पर पटवारी हल्का ने दिनांक 10.09.1976 को नामान्तकरण संख्या 81 भरकर प्रस्तुत किया और उकत नामांतकरण दिनांक 23.12.1976 को झूंथा के सभी छः पुत्रों जगदीश, सुखदेव, कल्याण, तेजपाल, भागीरथ व रामेश्वर पुत्रान झूंथा अहीर के नाम तस्दीक कर उनका नाम गैर खातेदार कृषक के रूप में दर्ज कर दिया गया। इस प्रकार राजस्व भू-अभिलेखों में हो रहे अवैध इन्द्राजात की दुरूस्ती कर पूर्व इन्द्राजात पुनर्स्थापित तो कर दिये गये परन्तु उपरोक्त वर्णित व्यक्तियों के नाम गैर खातेदार के रूप में अंकित कर दिये गये जो इन्द्राजात पूर्णतः अवैध थे।

राजस्व भू-अभिलेखों में झूंथा के पुत्रों जगदीश वगै0 का नाम गैर खातेदार कृषक के रूप में अंकित किये जाने की वजह से प्रार्थी तथा प्रारूपिक अप्रार्थी संख्या 2 लगा0 11 उक्त गैर खातेदारी के इन्द्राजात को भी दुरूस्त किये जाने का अनुरोध किया तो तहसीलदार चौमूं ने गैर खातेदारी के इन्द्राज को मात्र दुरूस्त किये जाने के स्थान पर अंकित करते हुये कि आवंटन को 10 वर्ष पूर्ण होने से गैर खातेदारी से खातेदारी स्वीकार है नामांतकरण संख्या 155 दिनांक 25.01.1985 को तस्दीक कर दिया इस प्रकार उपरोक्त वर्णित व्यक्तियों का नाम राजस्व भू-अभिलेखों में पूर्ववत खातेदार कृषक के रूप में अंकित हो गया।

उपरोक्त वर्णित संयुक्त कृषि जोत का अन्य कृषि जोतों के साथ उपरोक्त वर्णित सभी सहकृषकों ने आपसी सहमति से विभाजन कर लिया और सहायक भू-अभिलेख अधिकारी के समक्ष सहमति पत्र प्रस्तुत कर दिया जिसके आधार पर सहायक भू-अभिलेख अधिकारी ने पत्रावली संख्या 1/92 में दिनांक 07.01.1992 को आदेश पारित रि उपरोक्त वर्णित भूमि प्रार्थी सुखदेव पुत्र झूंथा अहीर के नाम अंकित कर दी। उल्लेखनीय है कि भागीरथ पुत्र झूंथा का दिनांक 23.05.1994 को तथा जगदीश पुत्र झूंथा का देहान्त दिनांक 11.02.1997 को देहान्त हो गया।

उपरोक्त वर्णित तथ्यों से यह संदेह से बाहर स्पष्ट है कि यद्यपि नामान्तकरण संख्या 14, 81, व 155 भिन्न-भिन्न आधारों पर तस[illegible] राजस्व भू-अभिलेखों में किये अवैध इन्द्राजात को दुरूस्त कर पूर्वव[illegible] कर देने मात्र का

Signature Not Verified
Digitally signed by Abhishek Suraha
Date: 2020.10.12 11:19:57 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

ही था जो किया जाना भू–अभिलेख अधिकारी के लिये आवश्यक था। परन्तु वास्तविक तथ्यों की जांच किये बिना तहसीलदार चौमूं ने उक्त नामान्तकरणों को अवैध होना अंकित करते हुए राजस्थान राज्य सरकार की ओर से एक रेफरेन्स बनाकर अति0कलेक्टर(चतुर्थ) जयपुर के समक्ष प्रस्तुत कर दिया और अति0कलेक्टर(चतुर्थ) जयपुर ने उसे रेफरेन्स प्रकरण संख्या 110/2001 के रूप में दर्ज कर कार्यवाही प्रारम्भ कर दी। उक्त रेफरेन्स प्रार्थना पत्र मे मौजूदा प्रार्थी तथा प्रारूपिक अप्रार्थीगण ने जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर उपरोक्त वर्णित तथ्यों को स्पष्ट किया और रेफरेन्स निरस्त किये जाने का अनुरोध किया परन्तु अति0कलेक्टर(चतुर्थ) जयपुर ने रेफरेन्स माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान को प्रेषित कर दिया।

माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान से रेफरेन्स का नोटिस प्राप्त होने पर माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान के समक्ष अपना पक्ष प्रस्तुत किया परन्तु माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान की विद्वान एकलपीठ ने रेफरेन्स प्रकरण संख्या 2302/2004 उनवानी सरकार बनाम सुखदेव को दिनांक 01.08.2012 के अपने निर्णय द्वारा स्वीकार करते हुये उपरोक्त वर्णित नामांतकरण संख्या 14, 81 व 155 को निरस्त कर उपरोक्त वर्णित भूमि को राजस्व भू–अभिलेखों में सिवायचक दर्ज किये जाने के आदेश पारित फरमा दिये।

माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान के उपरोक्त वर्णित निर्णय दिनांक 01.08.2012 के विरूद्ध रिट याचिका प्रस्तुत की गई जिस एस0बी0 सिविल रिट याचिका संख्या 13068/2012 उनवानी सुखदेव बनाम राजस्थान सरकार को माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय की एकलपीठ ने दिनांक 07.05.2014 के अपने निर्णय द्वारा निरस्त फरमा दिया जिसके विरूद्ध प्रार्थी ने माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय की खण्डपीठ के समक्ष स्पेशल अपील प्रस्तुत की।

माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय की खण्डपीठ के उपरोक्त वर्णित डी0बी0 सिविल स्पेशल अपील (रिट संख्या 861/2014) को दिनांक 08.08.2014 के अपने निर्णय द्वारा यह अंकित करते हुये निर्णित फरमा दिया कि:–

" Wh have heard the appellant and so also the officer appeared as caveat or on behalf State and taking note of the submission made, we do not find any error in the order passed by the Id. Single Judge which may require interference, but, at the same time, we consider appropriate to grant opportunity to the appellant to avail remedy which the law permits u/s. 136 of the Act, 1956 and we further make it clear that if the remedy as referred if availed within a period of one month from today, it may be considered to be within limitation and after affording opportunity of hearing to the parties may decide their application in accordance with the law.

We may further make it clear that authorities may not be influenced/inhibited by the observations made and decide the application if filed u/s 136 of the Act. 1956 independently of the basis of material on record.

Signature Not Verified

Digitally signed by Abhishek Surana
Date: 2020.10.12 11:19:57 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

With these directions/ observations, we affirm the order of the ld. Single Judge and the appeal stands disposed of accordingly."

माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान द्वारा रेफरेन्स संख्या 2302/2004 उनवानी सरकार बनाम सुखदेव मे दिनांक 01.08.2012 को जो उपरोक्त वर्णित निर्णय पारित कर भूमि विवादग्रस्त को राजस्व भू–अभिलेखों में गैर मुमकिन सिवायचक दर्ज करने के आदेश पारित फरमा दिये गये उसके विरूद्ध वादी ने माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के समक्ष रिट याचिका प्रस्तुत की जिस एस0बी0 सिविल रिट याचिका संख्या 13068/2012 में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय की एकल पीठ ने दिनांक 03.09.2012 को स्थग आदेश पारित फरमा दिया और यथास्थिति कायम रखे जाने के साथ ही राजस्थान उच्च न्यायालय की एकल पीठ ने दिनांक 03.09.2012 को स्थगन आदेश पारित फरमा दिया और यथास्थिति कायम रखे जाने के साथ ही राजस्थान राज्य सरकार को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंध फरमा दिया परन्तु फिर भी माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान के उपरोक्त वर्णित आदेश दिनांक 01.08.2012 की क्रियान्विति में उपरोक्त वर्णित भूमि विवादग्रस्त के राजस्व भू–अभिलेखों से वादी का नाम लोपित कर उसे सिवायचक अंकित कर दिया गया जो इन्द्राज पूर्णतः अवैध है परन्तु फिर भी राजस्व भ–अभिलेखों में हो रहे ऐसे इन्द्राजात के आधार पर वादी द्वारा संवत् 2069 में अनाधिकृत काश्त किया जाना मानते हुए भूमि खसरा नम्बर 271 व 272 के संबंध में मुकदमा संख्या 45/2013 तथा उक्त भूमि के संबंध में ही संवत् 2070 में काश्त किये जाने के आधार पर मुकदमें प्रारम्भ कर दिये और उसके पश्चात संवत् 2070 में पुनः भूमि खसरा नम्बर 272 के संबंध में मुकदमा संख्या 11/2014 दायर कर पूर्व में संवंत 2069 में अतिक्रमण करने के पश्चात संवंत 2070 में पश्चात्वर्ती अतिक्रमण करने के आधार पर तीन माह के सिविल कारावास की सजा से दण्डित क्यों नही कर दिया जावे इस संदर्भ में मुकदमा दर्ज कर नोटिस जारी फरमा दिये।

उपरोक्त विषयान्तर्गत नोटिस प्राप्त होने पर जब प्रार्थी दिनांक 20.06.2014 को तहसीलदार चौमूं के समक्ष उपस्थित होकर जवाब प्रस्तुत करना चाहा तो तहसीलदार चौमूं ने जवाब नोटिस लेने से इन्कार कर दिया परन्तु जब वादी ने माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय की खण्डपीठ के समक्ष स्पेशल अपील विचाराधीन होने का हवाला दिया तो तहसीलदार चौमूं ने कहा ि कवे राजकीय अधिवक्ता से सम्पर्क कर माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के समक्ष विचाराधीन अपील की जानकारी तो कर लेंगे परनतु वे आदेश पारित करने का इन्तजार नहीं करेंगे। इससे स्पष्ट है कि तहसीलदार चौमूं जल्द से जल्द प्रार्थी को ना सिर्फ भूमि विवादग्रस्त से बेदखल कर देने पर आमादा है अपितु प्रार्थी को सिविल कारावास की सजा से दण्डित भी कर देना चाहते है जिसका उन्हे कोई अधिकार प्राप्त नहीं है।।

माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय की डी0बी0सिविल स्पेशल अपील (रिट संख्या 851/2014) में दिनांक 08.08.2014 को पारित निर्णय के आधार पर अब प्रार्थी के लिये यह आवश्यक हो गया है कि वह भूमि विवाग्रस्त के संबंध में राजस्व भू–अभिलेखों में हो रहे गलत इन्द्राजात को दुरूस्त करने के लिये अविलम्ब विधिक कार्यवाही करें और इसी वजह से प्रार्थी/वादी को वाद कारण उत्पन्न होकर दावा दायर करना आवश्यक हुआ है।

अतः आवेदन अस्थाई निषेधाज्ञा मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर प्रार्थना है कि अप्रार्थी संख्या 1 को अस्थाई निषेधाज्ञा से पावंध फरमाया जावें ि कवह वाद के विचरण के दौरान ग्राम बावडी गोपीनाथ, तहसील चौमूं जिला जयपुर स्थित भूमि [illegible] खसरा नम्बर 270 रकबा 0.32 है0, 271 रकबा 0.95 है0, 272 रकबा 2[illegible] है0, [illegible]/852 रकबा 0.

Signature Not Verified
Digitally signed by Abhishek Surana
Date: 2020.10.12 11:19:57 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

10 है0, 274/851 रकबा 0.15 है0, 276/850 रकबा 0.10 है0, 298/853 रकबा 0.04 है0, 299/854 रकबा 0.03 है0, कुल किता 8 का कुल रकबा 4.30 है0 पर प्रार्थी की खातेदारी, कब्जे काश्त तथा उपयोग एवं उपभोग की भूमि पर किसी प्रकार का कोई हस्तक्षेप ना तो स्वयं करे ना ही किसी अन्य से करावें तथा प्रार्थी को भूमि विवादग्रस्त से बेदखल करने की कोई कार्यवाही ना तो स्वयं करे ना ही किसी अन्य से करावें।

पत्रावली पेश हुई। दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से जवाब प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा का पेश हुआ जो निम्नानुसार है:-

प्रार्थना पत्र में वर्णित हाल खसरा नम्बर 270 रकबा 0.32 है0, 271 रकबा 0.95 है0, 272 रकबा 2.61 है0, 273/852 रकबा 0.10 है0, 274/851 रकबा 0.15 है0, 276/850 रकबा 0.10 है0, 298/853 रकबा 0.04 है0, 299/854 रकबा 0.03 है0, कुल किता 8 का कुल रकबा 4.30 है0 ग्राम बावडी गोपीनाथ, तहसील चौमूं जिला जयपुर में स्थित होना एवं साबिक खसरा नम्बर 6 होना सही होने से स्वीकार है किन्तु मद में प्रार्थीगण का कहना सर्वथा मिथ्या व असत्य है कि उक्त भूमि के साबिक खसरा नम्बर 8/1, 8/2, 8/3 रहे है। मुताबिक राजस्व रिकार्ड उक्त भूमि ऐसे कोई खसरा नम्बर रहे ही नही। उक्त खसरा नम्बर 8/1, 8/2, 8/3 काल्पनिक नम्बर है जो कि फर्जी कार्यवाही करते हुये बताये गये है। जो खतौनी बन्दोबसत सम्वत् 2010 से 2023 के मिलान क्षेत्रफल में खसरा नम्बर 6 का गत खसरा नम्बर 8 बनना लिखा हैं, न कि खसरा नम्बर 8/1, 8/2, 8/3 से है। जो मिसल हकीकत सम्वत् 1987 के खसरा नम्बर 38 में कॉ0स0 4 में खुद काबिज दर्ज है।

विवादित भूमि सदैव से जागिर रिज्यूमशन पश्चात् से सवाई चक भूमि के रूप में राजकीय भूमि दर्ज रिकॉर्ड रही है। यहा यह भी स्पष्ट किया जाना उचित व आवश्यक है कि सम्वत् 2004 में ग्राम बावडी गोपीनाथ में कोई बन्दोबस्त की कार्यवाही हुई नही हैं, ना ही ऐसी कोई खतौनी बन्दोबस्त ग्राम बावडी गोपीनाथ के बाबत तैयार हुआ है। प्रार्थी द्वारा मद में उल्लेखित तथाकथित सम्वत् 2004 से 2023 की खतौनी पूर्णतया फर्जी व कूटरचित है जो कि प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण संख्या 2/1 लगा0 2/8 व 3 ता 11 ने मिलीभगत कर विवादित राजकीय भूमि को हडपने के आश्य से तैयार करवायी है। ग्राम बावडी गोपीनाथ का कुल किता 3 मिजान कुल देह रकबा 17 बीघा अंकित है जो सम्वत् 1989 एवं 2010 से 2023 के मिलान क्षेत्रफल से उक्त खतौनी का मिलान नहीं होने से कूटरचित दस्तावेजात की पुष्टि होती है।

प्रार्थी का कहना सर्वथा मिथ्या व असत्य है कि तथाकथित फोर्ज नामान्तकरण संख्या 14 दिनांक 15.05.1983 तथाकथित रूप से विवादति भूमि झूंथा की होने क अधार पर प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण संख्या 2/1 लगा0 2/8 व 3 ता 4 व 5 ता 10 के पिता व 11 के पति के नाम से विरासत के आधार पर दर्ज किया गया है और उसके आधार पर राजस्व रिकार्ड मे इन्द्राजात होते रहें है। वरन सत्यता यह है कि उक्त तथाकथित फोर्ज नामान्तकरण संख्या 14 दिनांक 15.05.1983 प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण संख्या 2/1 लगा0 2/8 व 3 ता 4 व 5 ता 10 के पिता व 11 के पति ने पटवारी हल्का से सांठगाठ कायम कर विवादित राजकीय भूमि को सवाई चक राजकीय भूमि मानते हुए राजकीय भूमि को बिना किसी आधिपत्य के हडपने के आश्य से तहत 15 आर0टी0ए0 1955 के दिनांक 10.05.1963 को दर्ज करवाया गया था जिसके स्वीकृत नही होन पर व राजस्व अधिकारी के ऐतराज करने पर प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 2/1 लगा0 2/8 व 3 ता 4 व 5 ता 10 के पिता व 11 के पति ने फर्जीवाडा व कूटरचना कर उक्त नामान्तकरण संख्या 14 में विधि विरूद्ध रूप से कांट [illegible] 4 को तहत धारा 15 आर0टी0ए0 से परिवर्तित करवाकर गैर [illegible] से फौती के नामान्तकरण के बिना किसी विधिक हक [illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Abhishek Surana
Date: 2020.10.12 11:19:57 IST
Reason: SelfAttested
Scanned with CamScanner

बाला–बाला तत्कालिन सरपंच से दिनांक 15.05.1963 को मिलीभत कर स्वीकृत करवा लिया था जिसकी भी जांच होने पर तत्समय ही राजस्व अधिकारी द्वारा उक्त नामान्तकरण के अमल दरामद को जांच जमाबन्दी दिनांक 08.04.1964 को रोक दिया गया था, जिसके पश्चात् उक्त निर्णय की दिनांक में स्पष्ट आदेश नामान्तकरण संख्या 14 पर अंकित में कांट–छाट कर पुनः आगामी जमाबन्दी में अमल को राजस्व अधिकारी द्वारा जांच जमाबन्दी दिनांक 18.11.1974 के द्वारा पुनः सिवायचक दर्ज कर दी गयी थी। उक्त नामानतकरण को आधार बनाकर मिथ्या व असत्य तथ्यों के आधार पर यह मिथ्या व वैग प्रार्थना पत्र पेश किया है जो कि सरसरी रूप से खारिज किये जाने योग्य है।

प्रार्थना पत्र के मद में जिस प्रकार वर्णित किया गया है पूर्णतः गलत व मिथ्या होने से अस्वीकार है। प्रथम बन्दोबस्त के दौरान तथाकथित झूथा पुत्र लादू विवादित भूमि के खातेदार कृषक के रूप में दर्ज रहा ही नहीं है, ना ही विवादित भूमि प्रथम सं. 2010 से 2023 तक बन्दोबस्त के समय से लेकर आज दिवस तक कभी प्रार्थीगण या उसके तथाकथित पूर्वज झूथा की खातेदारी भूमि रही है वरन् सत्यता यह है कि उक्त वर्णित भूमि सदैव से आज दिवस तक रिकार्ड व मौके पर सवाई चक भूमि के रूप में राजकीय भूमि रही है जिसमें वरवक्त बन्दोबस्त विभाग द्वारा सवाई चक खाते की भूमि के रूप में सही राजस्व रिकॉर्ड तैयार किया है जिसको गलत बताने का प्रार्थीगण को कोई विधिक हक अधिकार प्राप्त नहीं है। प्रार्थीगण का विवादित भूमि पर कोई कब्जा काश्त आज दिनांक तक नहीं है, ना ही ऐसा होने का कोई प्रश्न ही उठता है जब विवादित भूमि सवाई चक राजकीय भूमि है तो प्रार्थीगण द्वारा तथाकथित लगान अदा करने की बात तो स्वमेव ही मीथ्या हो जाती है।

प्रार्थी अप्रार्थीगण संख्या 2/1 लगा0 2/8 व 3 ता 11 को विवादित भूमि के सवाई चक भूमि के रूप में राजकीय भूमि होने की सदैव से ही पूरी जानकारी रही है जिसकी पुष्ठि प्रार्थी पक्ष द्वारा दर्ज करवाये गये फर्जी नामान्तकरण संख्या 14 दिनांक 10.05.1963 से हो गयी है जब प्रार्थी का विवादित भूमि से आज दिवस तक कोई विधिक सम्बन्ध, तालुक या वास्ता रहा ही नहीं है तो तथाकथित रूप से प्रार्थी को तथाकथित आश्वासन दिये जाने का प्रश्न ही नहीं उठता है।

तहसीलदार आमेर द्वारा तथाकथित रूप से तहत धारा 15 आर0टी0ए0 के नामान्तकरण प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 2/1 लगा0 2/8 व 3 ता 4 व 5 ता 10 के पिता एवं 11 पति के नाम से दर्ज करने का कोई आदेश पारित ही नहीं किया है, ना ही ऐसा किया जाना कानूनन् सम्भव है क्योंकि तहसीलदार धारा 15 आरटी0ए0 के तहत खातेदारी देने या आदेश पारित करने के लिए विधि द्वारा प्राधिकृत ही नहीं है तहत धारा 15 आर0टी0ए0 1955 के खातेदारी प्रदान करने हेतु सहायक कलेक्टर या उससे ऊपर की पंक्ति का अधिकारी ही विधि द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति है इस प्रकार मद में उल्लेखित तथाकथित आदेश दिनांक 28.03.1974 पूर्णतया विधि विरूद्ध व गैर कानूनी है, जिसकी कोई कानूनी अहमियत नहीं है तथा उक्त प्रभावहीन विधि विरूद्ध पत्र दिनांक 28.03.1974 के आधार पर प्रार्थी द्वारा पटवारी हल्का से आपराधिक, अनैतिक मिलीभगत दर्ज करवाया गया नामान्तकरण संख्या 81 दिनांकित 23.12.1976 को नायब तहसीलदार द्वारा क्षेत्राधिकार का हनन कर स्वीकृत किया गया, पूर्णतः अवैध तथा विधि विरूद्ध धारा 15 आर0टी0ए0 का नामान्तकरण था, जिसका अमल गैर कानूनी रूप से गैर खातेदारी कर किया गया, तत्पश्चात् नामान्तकरण संख्या 155 गैर खातेदार से खातेदारी का उक्त तथाकथित आदेश दिनांक 28.03.1974 को आवंटन आदेश बताकर दिनांक 25.01.1985 [illegible] माननीय राजस्व मण्डल अजमेर द्वारा रेफरेन्स प्रकरण संख्या 2302/0[illegible] सरकार बनाम सुखदेव में पारित निर्णय दिनांक 01.08.2012 [illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Abhishek Surana
Date: 2020.10.12 11:19:57 IST
Reason: SelfAttested
Scanned with CamScanner

है जो कि उक्त निर्णय माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के यहां मुकदमा संख्या 13068/12 में पारित निर्णय दिनांक 07.05.2014 से ही यथावत रहा है इस प्रकार प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण संख्या 2/1 लगा0 2/8 व 3 ता 11 द्वारा मिलीभगत से दर्ज करवाये इन्द्राजात् पूर्व में ही निरस्त व अमान्य हो चुके है। यहाँ यह भी स्पष्ट किया जाना उचित व आवश्यक है कि इस मद में स्वयं प्रार्थी द्वारा नामान्तकरण संख्या 81 को सही होना अभिकथित कर विवादित भूमि के सवाई चक राजकीय भूमि होना स्वीकृत किया है, जिससे मुकरने की अनुमति प्रार्थीगण को नहीं दी जा सकती है इस प्रकार विवादित भूमि स्वीकृत रूप से सवाई चक राजकीय भूमि होने से उक्त प्रार्थना पत्र कानूनन् ही चलने योग्य नहीं होने से सरसरी रूप से खारिज किये जाने योग्य है।

प्रार्थना पत्र में उल्लेखित तथाकथित नामान्तकरण संख्या 155 अवैध व प्रभावहीन व प्रारम्भ से ही विधि विरूद्ध नामान्तकरण 81 के आधार पर आवंटन के 10 वर्ष होने पर गैर खातेदारी से खातेदारी का स्वीकृत किया गया है कतई गलत व विधि विरूद्ध होने से अस्वीकार है। जबकि कोई आवंटन नहीं हुआ था। प्रार्थीगण द्वारा मिलीभगत के आधार पर स्वीकृत करवाया गया था, जिसमें माननीय राजस्व मण्डल अजमेर द्वारा अपने निर्णय 01.08.2012 से निरस्त व प्रभावहीन कर दिया जो कि राजस्व मण्डल अजमेर का उक्त निर्णय दिनांक 01.08.2012 अन्तिमता प्राप्त कर चुका है, जिसे उक्त मिथ्या व आधारहीन प्रार्थना पत्र के माध्यम से कानूनन् ही न्यायालय श्रीमान् के यहां चुनौतीग्रस्त नहीं किया जा सकता है। प्रार्थीगण कभी भी विवादित भूमि का कानूनन व विधिक रूप से खातेदार कृषक नहीं रहा है इसलिए प्रार्थना पत्र सरसरी रूप से खारिज किये जाने योग्य है।

मद में अंकित तथाकथित नामान्तकरण संख्या 14, 81 व 155 प्रार्थीगण ने फर्जी व विधि विरुद्ध कार्यवाही व कृत्य कारित कर बिना किसी विधिक हक अधिकार के दर्ज करवाये है, जिनकी कोई कानूनी अहमियत नहीं है, ना ही उक्त अवैध व प्रारम्भ से ही शून्य नामान्तकरणों के आधार पर प्रार्थीगण को किन्ही विधिक हक अधिकारों की प्राप्ति हो सकती है। मन उत्तरदाता को उक्त फर्जी व अवैध नामान्तकरण संख्या 14,81 व 155 की जानकारी होते ही सही एवं विधिवत् कार्यवाही कर न्यायालय ADM (4) जयपुर के यहां सही रूप से रेफरेन्स प्रकरण संख्या 110/2001 प्रस्तुत किया गया था, जिससे न्यायालय द्वारा विस्तृत जांच व सुनवाई के स्वीकार किया गया जो कि उक्त निर्णय आज दिनांक तक स्थिर है जिसे किसी भी सक्षम न्यायालय द्वारा निरस्त नहीं किया गया है।

यहां यह स्पष्ट किया जाना आवश्यक है कि माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय की खण्डपीठ ने एकलपीठ के निर्णय दिनांक 07.05.2014 की जिसमें एकलपीठ ने राजस्व मण्डल अजमेर के प्रकरण संख्या 2302/2004 में पारित निर्णय दिनांक 01.08.2012 की पुष्टि की है इस प्रकार राजस्व मण्डल अजमेर द्वारा विवादित भूमि को सवाई चक राजकीय भूमि मानने का निर्णय दिनांक 01.08.2012 अन्तिम हो चुका है जिसके पश्चात उक्त प्रार्थना पत्र तो कानूनन् ही पोषणीय नहीं होने से सरसरी रूप से खारिज किये जाने योग्य है।

माननीय राजस्व मण्डल अजमेर के निर्णय दिनांक 01.08.2012 की प्रति प्राप्त होने पर मन उत्तरदाता द्वारा निर्णय की पालना दिनांक 24.08.2012 को ही की जाकर विवादित भूमि के राजस्व रिकॉर्ड को सही व दुरूस्त का विवादित भूमि को पुनः सवाई चक राजकीय भूमि में दर्ज कर दिया गया था उस समय प्रकरण में कोई स्थगन आदेश प्रभावी नहीं था प्रार्थीगण ने न्यायालय श्रीमान् को गुमराह करने की बदनियती से तथ्यों को तोड मरोडकर मिथ्या स्वरूप में दर्ज किया है। मद में उल्ले[illegible] 2014 मे नोटिस प्रस्तुत की गयी, मिथ्या मुकदमे बाजी की आड में विवा[illegible] अतिक्रमण कर लेने का आपराधिक कृत्य करने पर जारी कि[illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Abhishek Surana
Date: 2020.10.12 11:19:57 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

हक अधिकारों की प्राप्ति नहीं होती है। उक्त प्रकरणों के माध्यम से मन उत्तरदाता द्वारा प्रार्थीगण को विवादित भूमि पर नाजायज अतिक्रमण करने से रोका गया है जो कि विधि सम्मत कार्यवाही रही है।

मद में समस्त तथ्य मिथ्या व विधि विरूद्ध अंकित किये गये है जिनका सत्यता से लेशमात्र भी सम्बन्ध नहीं है सत्यता यह है कि विवादित भूमि विशुद्ध रूप से सवाई चक राजकीय भूमि है जिससे प्रार्थीगण का कोई विधिक सम्बन्ध, तालुक या वास्ता नहीं है, ना ही विवादित भूमि पर प्रार्थीगण का कोई विधिक आधिपत्य है, ना ही विवादित भूमि प्रार्थीगण की खातेदारी या कब्जे काश्त की भूमि है वरन प्रार्थीगण उक्त राजकीय सवाई चक भूमि पर उक्त मिथ्या प्रार्थना पत्र की आड़ में नाजायज अतिक्रमण कर राजकीय सम्पदा को हड़प कर लेना चाहता है जिसकी अनुमति फर्जी कानूनन् ही नहीं दी जा सकती है। प्रार्थीगण्ण ने कतई मिथ्या व वैग प्रार्थना पत्र पेश किया है जो कि सरसरी रूप से खारिज किये जाने योग्य है।

विवादित भूमि मन उत्तरदाता के विधिक स्वामित्व व विधिक आधिपत्य की सवाई चक राजकीय भूमि है जिसके बाबत् विधिक टाईटल व विधिक आधिपत्य के अभाव में कानूनन् ही प्रार्थीगण के पक्ष में कोई प्रथम दृष्ट्या मुकदमा या सुविधा का सन्तुलन होने का प्रश्न ही उत्पन्न नही होता है। प्रार्थीगण को मन उत्तरदाता जो कि विवादित सम्पत्ति का वास्तविक मालिक, स्वामी है के विरूद्ध किसी भी प्रकार का कोई अनुतोष प्राप्त करने का कोई विधिक हक अधिकार प्राप्त नहीं है, ना ही कानूनन् ऐसा कोई अनुतोष प्रार्थीगण के क में जारी किया जा सकता है प्रार्थीगण ने कतई झूठा व आधारहीन प्रार्थना पत्र पेश किया है जो सरसरी रूप से खारिज किये जाने योग्य है।

<u>बयान मजीद</u>

प्रार्थी ने उक्त मिथ्या व वैग प्रार्थना पत्र तुच्छ व विधि विरूद्ध आधार पर मात्र मन उत्तरदाता को तंग व परेशान करने व विवादित राजकीय भूमि पर नाजायज रूप से अतिक्रमण कर राजकीय सम्पदा को बेईमानीपूर्ण आशय से हड़प करने से हड़प करने के दुराशय से अस्वच्छ हाथों से झूठे तथ्यों के आधार पर प्रस्तुत किया है जो कि कानूनन् ही पोषणीय नहीं होने से सरसरी रूप से खारिज किये जाने योग्य है।

विवादित सम्पत्ति विशुद्ध रूप से सवाई चक भूमि के रूप में राजकीय भूमि है जिससे प्रार्थीगण का कोई विधिक सम्बन्ध नहीं है तथा मन उत्तरदाता विवादित भूमि का वास्तविक विधिक स्वामी है जिसके विरूद्ध कानूनन् ही अस्थायी निषेधाज्ञा जारी नहीं की जा सकती है।

प्रार्थीगण का उक्त मिथ्या प्रार्थना पत्र टाईटल व विधिक आधिपत्य के अभाव में कानूनन् ही चलने योग्य नहीं होने से सरसरी रूप से खारिज किये जाने योग्य है।

प्रार्थीगण ने सवाई चक राजकीय भूमि पर नाजायज अतिक्रमण उक्त मिथ्या प्रार्थना पत्र की आड़ में कर लेने की बदनियती के विधि विरूद्ध उद्देश्य की पूर्ति हेतु यह मिथ्या व वैग प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है जो कि कानूनन् ही पोषणीय नहीं होने से सरसरी रूप से खारिज किये जाने योग्य है।

स्वयं प्रार्थीगण ने उक्त प्रार्थना पत्र में तथा पूर्व जरिये नामान्तकरण संख्या 14, 81 व 153 के विवादित भूमि को सवाई चक भूमि होना स्वीकृत किया तथा उक्त प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण ने विवादित भूमि को अपनी पैतृक खातेदारी भूमि होना बताकर पैतृक भूमि के आधार पर प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है जो कि उक्त दोनो ही तथ्य आपस में विरोधाभाषी है जिससे प्रार्थीगण के मिथ्या व झूठा होने की [illegible] प्रकार से विवादित भूमि को राजकीय सवाई चक भूमि होने के तथ्य [illegible] किये जाने के पश्चात् उक्त मिथ्या प्रकरण में पूर्व में की [illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Abhishek Surana
Date: 2020.10.12 11:19:57 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

अनुमति कानूनन् ही नहीं दी जा सकती है जब स्वीकृत रूप से विवादित भूमि प्रार्थी की पैतृक खातेदारी भूमि नहीं होना मन उत्तरदाता के विधिक स्वामित्व व आधिपत्य की राजकीय भूमि है तो उक्त प्रार्थना पत्र कानूनन् ही चलने योग्य नहीं होने से सरसरी रूप से खारिज किये जाने योग्य है।

विवादित भूमि के बाबत् मन उत्तरदाता का विधिक स्वामित्व माननीय राजस्व मण्डल, अजमेर द्वारा प्रकरण संख्या 2302/04 में दिनांक 01.08.2012 को तथा मान्य राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा प्रकरण संख्या 13068/2012 में दिनांक 07.05.2014 को व प्रकरण संख्या 861/2014 दिनांक 08.8.2014 को अन्तिम रूप से निर्णित किये जाने के पश्चात् उक्त प्रार्थना पत्र तो कानूनन् ही चलने योग्य नहीं होने से सरसरी रूप से खारिज किये जाने योग्य है।

प्रार्थीगण ने उक्त प्रकरण तथाकथित खतौनी बन्दोबस्त सम्वत् 2004 से 2023 को आधार बनाकर प्रस्तुत किया है जबकि ऐसा कोई बन्दोबस्त 2004 में ग्राम बावड़ी गोपीनाथ में हुआ ही नहीं है प्रार्थीगण फर्जी दस्तावेज तैयार कर उक्त मिथ्या प्रार्थना पत्र पेश किया है। उक्त खतौनी सम्वत् 2004 से 2023 में अंकित खसरा नम्बर 8/1, 8/2, 8/3 किता 3 रकबा 17 का मिलान क्षैत्रफल के सम्वत् 2010 से 2023 की खतौनी में अंकित खसरा नम्बर 8 से नहीं होता है। जो कि सरसरी रूप से खारिज किये जाने योग्य है।

प्रार्थीगण एक आदतन, जालसाझ व्यक्ति है जिनके द्वारा ग्राम बावड़ी गोपीनाथ की ही राजकीय भूमि के साबिक खसरा नम्बर 6 रकबा 17 बीघा के हाल खसरा नम्बर 270, 271, 272, 273/852, 274/851, 276/850, 298/853, 299/854 कुल किता 8 का कुल रकबा 4.30 हैक्टेयर के बाबत् फर्जीवाड़ा करने व कूटरचित दस्तावेजात् तैयार किये जाने पर मन उत्तरदाता द्वारा प्रार्थीगण के विरूद्ध पुलिस थाना गोविन्दगढ़ पर प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 103/2004 तहत धारा 420, 467, 468, 471, 120 बी आई०पी०सी० दर्ज करवायी थी, जिसमें बाद अनुसंधान प्रार्थीगण के विरूद्ध कूटरचना व फर्जीवाड़े धोखाधडी का अपराध साबित माना जाकर प्रार्थीगण के विरूद्ध न्यायालय ए.सी.जे.एम. चौमू जयपुर के यहां चालान पेश हो चुका है जो कि वर्तमान में विचाराधीन है।

यहां यह भी स्पष्ट किया जाना उचित है कि प्रार्थीगण संख्या 1 व अप्रार्थीगण संख्या 2/1 लगा० 2/8 व 3 लगायत 4 के पिता व 5 लगायत 10 के दादा एवं 11 के ससुर झूथा पुत्र माना था, न की गूंथा पुत्र लादू! झूथा पुत्र लादू अहीर नाम का ग्राम बावडीगोपीनाथ व मण्डाभिण्डा में कोई व्यक्ति था ही नहीं।

अतः जवाब प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र मय हर्जे खर्चे खारिज फरमाया जावें।

अप्रार्थीगण संख्या 2/1 लगा० 11 की ओर से जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर प्रार्थीगण को विरूद्ध अप्रार्थी संख्या 1 प्रार्थना पत्र में चाहा गया अनुतोष की सहमति का जवाब प्रस्तुत किया गया है।

अधिवक्ता प्रार्थीगण के द्वारा प्रार्थना–पत्र में वर्णित तथ्यो को दौराते हुये कथन किया गया है कि माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय डी०बी० में पारित निर्णय के निर्देशानुसार प्रार्थीगण के द्वारा 136 का प्रार्थना पत्र पेश करने हेतु निर्देशित किया गया था उक्त निर्देशो की पालना में निर्णय के 1 माह के भीतर उक्त प्रार्थना पेश किया गया है। सम्वत 2004 लगायत 2023 की खतोनी बंदोबस्त में झूथा पुत्र लादु का नाम खातेदार कृषक के रूप में दर्ज था उक्त भूमि का लगान भी झूथा पुत्र लादु के द्वारा निरन्तर अदा करते आ रहे है। झूथा पुत्र लादु का देहान्त हो जाने के उपरान्त उसके छः पुत्र भूमि के कृषक हुये जो विवादग्रस्त भूमि पर काबिज काश्त करते चले आ रहे है। जिन्हें राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 15 के अन्तर्गत खातेदारी अधिकार प्राप्त है सम्वत 2004 से 2023 ...

Signature Not Verified
Digitally signed by Abhishek Surana
Date: 2020.10.12 11:19:57 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

बेदोबस्त विभाग के अधिकारियो के द्वारा राजस्व भू–अभिलेखों में झूथा पुत्र लादु का नाम विलोपित कर उक्त भूमि सिवायचक अंकित कर दिया जो क्षेत्राधिकार सें बाहर जाकर पूर्णतः विधि विरूद्व किया गया है। ततपश्चात तहसीलदार आमेर के द्वारा नामान्तरकरण संख्या 81 दिनांकः 23.12.1976 को झूथा पुत्र लादु के छः पुत्रों के नाम तस्दीक कर कृषक के रूप में दर्ज किया गया। तथा नामान्तकरण संख्या 155 दिनांकः 25.01.1985 तस्दीक कर तहसीलदार चौमू के द्वारा गैर खातेदारी सें खातेदारी स्वीकार किया गया। तहसीलदार तहसील चोमू के द्वारा नामान्तरकरण संख्या 14, 81, 155 को निरस्त कर रेफरेन्स संख्या 110/2001 श्रीमान अतिरिक्त जिला कलक्टर (चतुर्थ) के समक्ष प्रस्तुत किये जाने पर माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान को प्रेषित किये जाने पर माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान मे एकल पीठ के प्रकरण संख्या 2302/2004 उनवानी सरकार बनाम सुखदेव को दिनांकः 01.08.2012 को निर्णय पारित कर नामान्तकरण संख्या 14, 81, 155 को निरस्त कर उक्त विवादित भूमि को राजस्व अभिलेखों में सिवायचक दर्ज किये जाने के आदेश पारित किया गया। माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान के निर्णय दिनांकः 01.08.2012 के विरूद्व एस.बी.सिविल रिट याचिका संख्या 13068/2012 उनवानी सुखदेव बनाम राजस्थान सरकार को माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय की एकल पीठ नें दिनांकः 07.05.2014निरस्त किया गया जिसके विरूद्व माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय की खण्डपीठ के समक्ष प्रस्तुत करने पर माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय की खण्डपीठ सिविल रिट पिटिशन संख्या 861/2014 को दिनांकः 08.08.2014 को निर्णय पारित कर 136 के तहत कार्यवाही करने के निर्देश दिये जाने के बाद 1 माह के भीतर न्यायालय के समक्ष वाद घोषणा, दुरूस्थी, एवं स्थाई निषेधाज्ञा का पेश किया गया।

विवादित भूमि के आराजी खसरा नम्बर 271, 272 के सम्वत 2069 व 2070 में प्रार्थीगण के द्वारा काश्त किये जाने के आधार पर अतिक्रमच हटाने के संबंध में धारा 91 की कार्यवाही की गई है। अप्रार्थी सख्या 1 का अधिकारी एवं कर्मचारी येनकेन प्रकारेघ प्रार्थीगण को विवादग्रस्त भूमि सें बेदखल जबरन कब्जा करने पर आमादा हो रहे है। अप्रार्थी संख्या 1 के अधिकारी कर्मचारी दावे में अन्तिम निर्णय सें पूर्व विवादग्रस्त भूमि सें अतिक्रमण हटा दिया जाने पर अपूर्तनीय क्षतिकारित होगी। तथा प्रार्थी की खातेदारी, कब्जे काश्त, व उपयोग एवं उपभोग की भूमि पर किसी प्रकार कोई हस्तक्षेप ना तो स्वंय करे ना ही किसी अन्य सें करावे तथा प्रार्थीगण को विवादग्रस्त भूमि सें बेदखल करने कोई कार्यवाही करने हेतु अप्रार्थी संख्या 1 को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा सें पाबन्द किया जावे।

अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 1 के द्वारा प्रस्तुत जवाब को ही बहस मानी जाने हेतु निवेदन किया गया है।

बहस उभयपक्षकारान् अधिवक्तागण की सुनी गई। प्रा0 पत्र, दस्तावेजात जवाव तहसीलदार चौमू एवं पत्रावली का बगोर अवलोकन किया गया। बहस के समर्थन में अधिवक्ता प्रार्थीगण नें न्यायिक दृष्टान्त RRD 1994 पेज 141, RRD 1969 पेज 232, RRD 1974 पेज 454, प्रस्तुत किये जिनका ससम्मान अवलोकन किया गया। प्रार्थीगण उक्त भूमि के वर्तमान में मूल रिकार्डेड खातेदार नही है। माननीय उच्च न्यायालय एवं राजस्व मण्डल के निर्णयानुसार विवादित भूमि सिवायचक है।

अप्रार्थी संख्या 1 के द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज में पंचायत द्वारा अवगत कराया गया कि कोई झूंथा पुत्र लादू नामक व्यक्ति उक्त गावं में कभी निवास नही करता था। जिससे प्रार्थीगण के द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्त चस्पा नही होते है। उक्त प्रकरण केवल सरकारी भूमि को खुर्द–बुर्द करने का [illegible] सुविधा का सन्तुलन एवं अपूर्तनीय क्षति प्राथीगण के पक्ष में साबित [illegible] होती [illegible] जिससें प्रार्थी का

Signature Not Verified
Digitally signed by Abhishek Surana
Date: 2020.10.12 11:19:57 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का खारिज किया जाना न्यायोचित प्रतित होता है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 भू-राजस्व अधिनियम का खारिज किया जाता हैं। पत्रावली फैसल शूमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो तथा दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक 17.09.2020 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

अभिषेक सुराणा
आई.ए.एस
उपखण्ड अधिकारी चौमू ,जयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Abhishek Surana
Date: 2020.10.12 11:19:57 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner